प्रेषकः–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद–अमरोहा।

सेवा में,

प्रबन्धक
राजेन्द्रा एकेडमी, हसनपुर रोड गजरौला, विकास खण्ड गजरौला
जनपद अमरोहा

पत्रांक –बे0(2)/21555-59 /2020–21 दिनांक 25·3·2021

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता का प्रमाण पत्र।

आपके तारीख 21.12.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, शासनादेश संख्या 89/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लनखऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या–196/ अडसठ–3–2020–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 29 जून 2020 में उल्लिखित प्राविधानानुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, मैं **राजेन्द्रा एकेडमी, हसनपुर रोड गजरौला, विकास खण्ड गजरौला, जनपद अमरोहा** (विद्यालय का नाम पते सहित) को **तारीख 01.04.2021 से तारीख 31.03.2022** तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए **अंग्रेजी माध्यम** की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 के उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक में खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
   I. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
   II. किसी भी बालक को शारिरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
   III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
   VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं अर्जित करेंगे।
   VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है; और
   VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियगों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	6199.50 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र	3403 वर्ग मी0
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	2796.50 वर्ग मी0
कक्षाओं की संख्या	5
प्राध्यापक–सह–कार्यालय सह भांडागार के लिए कक्ष	3
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	उपलब्ध है।

शेष पृष्ठ 2 पर

Scanned by CamScanner

पेयजल सुविधा — 1 सवमर्सिबल, आर0ओ0

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई — -

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री /क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक UPSE-175... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है और समय समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित और सुनिश्चित सरकार /स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित कर लें या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायेंगे।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
17. विद्यालय में अंको के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढायी जायेगी।
18. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
19. विद्यालय में दिव्यांग बच्चों की सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्वान्तों का पूर्णातः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20. विद्यालय में प्रति छात्र 09 वर्ग फिट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाये, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।
21. विद्यालय की स्थायी मान्यता हेतु 01 वर्ष के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं एवं संगत अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
22. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बिना किसी नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(चन्द्रशेखर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-अमरोहा

पत्रांक - वे0(2)/ /2020-21 दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
3. समाज कल्याण अधिकारी/ पिछड़ा वर्ग अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-अमरोहा।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमरोहा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-अमरोहा

Scanned by CamScanner

प्रेषकः—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद—अमरोहा।

सेवा में,

प्रबन्धक
राजेन्द्रा एकेडमी, हसनपुर रोड गजरौला, विकास खण्ड गजरौला
जनपद अमरोहा

पत्रांक —बे0(2)/ 21522-25 /2020—21 दिनांक 25·03·2021

विषयः— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता का प्रमाण पत्र।

आपके तारीख 18.12.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, शासनादेश संख्या 89/अरसठ—3—2018—2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग—3 लनखऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या—196/ अड़सठ—3—2020—2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग—3 लखनऊ दिनांक 29 जून 2020 में उल्लिखित प्राविधानानुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, मैं **राजेन्द्रा एकेडमी, हसनपुर रोड गजरौला, विकास खण्ड गजरौला, जनपद अमरोहा** (विद्यालय का नाम पते सहित) को **तारीख 01.04.2021 से तारीख 31.03.2022 तक** एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः—

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा—विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 के उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक में खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
   I. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
   II. किसी भी बालक को शारिरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
   III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
   VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं अर्जित करेंगे।
   VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है; और
   VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	6199.50 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र	3403 वर्ग मी0
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	2796.50 वर्ग मी0
कक्षाओं की संख्या	6
प्राध्यापक—सह—कार्यालय सह भांडागार के लिए कक्ष	3
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	उपलब्ध है।

शेष पृष्ठ 2 पर

Scanned by CamScanner

पेयजल सुविधा | 1 सयमर्सिबल, आर0ओ0

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई | -

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री /क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएें नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक UPSE-170 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है और समय समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित और सुनिश्चित सरकार /स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित कर लें या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायेंगे।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
17. विद्यालय में अंको के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढायी जायेगी।
18. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
19. विद्यालय में दिव्यांग बच्चों की सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्वान्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20. विद्यालय में प्रति छात्र 09 वर्ग फिट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाये, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।
21. विद्यालय की स्थायी मान्यता हेतु 01 वर्ष के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं एवं संगत अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
22. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बिना किसी नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(चन्द्रशेखर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-अमरोहा

पत्रांक – बे0(2)/ /2020-21 दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
3. समाज कल्याण अधिकारी/ पिछड़ा वर्ग अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-अमरोहा।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमरोहा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-अमरोहा

Scanned by CamScanner